<u>न्यायालयः</u>— चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग—2 भिण्ड (म.प्र.) (समक्ष : विकाश शुक्ला)

<u>व्यवहारवाद प्रकरण क0 2400182-ए/2016</u>
F.No. 102105/2016
संस्थापित दिनांक 18.10.2016

तेजिसंह जाटव उम्र 75 वर्ष, पुत्र बलधारी जाटव धंधा कृषि निवासी—ग्राम मुरलीपुरा थाना देहात तहसील व जिला भिण्ड

<u>...... आवेदक / वादी</u>

वि रू द्ध

- 1. महेन्द्र जाटव उम 36 वर्ष पुत्र श्री हरिश्चंद्र जाटव धंधा कृषि।
- 2. श्रीमती कलावती जाटव उम 55 वर्ष पत्नी श्री हरिश्चन्द्र जाटव धंधा कृषि एवं गृहकार्य, दोनो निवासी ग्राम मुरलीपुरा थाना देहात, तहसील व जिला भिण्ड।
- मध्य प्रदेश शासन द्वारा जिलाधीश जिला भिण्ड

..... अनावेदकगण / प्रतिवादीगण

(<u>/ / आदेश / /</u>)

(आज दिनांक 16.08.2017 को पारित किया गया)

- 1. यह आदेश आवेदक / वादी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र अंतर्गत आदेश 39 नियम—1 व 2 सहपठित धारा 151 सीपीसी (आई.ए.नम्बर—1) का निराकरण करेगा।
- 2. वादपत्र के अभिवचन एवं आवेदन के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वादी एवं प्रतिवादी क्रमांक 1 व 2 एक ही परिवार / खानदान के सदस्य होकर ग्राम मुरलीपुरा में अलग अलग मकानों में निवास करते है तथा प्रतिवादी क्रमांक 1 व 2 पुश्तैनी मकान में निवास करते है, जब कि वादी द्वारा गढूपुरा के चिंतामन से जगह क्रय कर उस पर मकान बना कर परिवार सहित निवास करता है। वादी पांच भाई है, जिनमें तीन भाईयों की मृत्यु हो चुकी है तथा

वादी का सभी भाईयों से पुश्तैनी कृषि भूमि का विधिवत बटवारा होकर अलग अलग ऋण पुस्तिकायें भी बन चुकी है तथा सभी अपने अपने हिस्से पर कृषि कार्य कर रहे है। वादी का एक भाई हिरश्चंद रेलवे विभाग से सेवा निवृत होकर मुम्बई में निवास करते है तथा उनके हिस्से की कृषि भूमि पर उनका पुत्र प्रतिवादी क्रमांक 1 व पत्नी प्रतिवादी क्रमांक 2 काबिज काश्त है। बटवारे में वादी को सर्वे नम्बर 1422 रकवा 0.15 हेक्टर, सर्वे नम्बर 1458 रकवा 0.07, सर्वे नम्बर 2170 रकवा 0.08 कुल किता 3 कुल रकवा 0.30हेक्टर प्राप्त हुआ था और इतना ही भाग प्रतिवादी क्रमांक 1 के पिता व प्रतिवादी क्रमांक 2 के पित हरिश्चंद्र को मिला था। वादी के एक पुत्र बादशाह था, जो करीब 15—16 वर्ष से बाहर चला गया जो वापिस नहीं आया है तथा उसकी पत्नी, चार पुत्री एवं एक पुत्र वादी के साथ वैध वारिस के रूप में निवास करते है।

वादी द्वारा चिंतामन से सर्वे कमांक 2283 2284 / 1,2285 / 12286 / 1, जिनके बदोवस्त उपरान्त नवीन सर्वे नम्बर 2158, 2212, 2213 व 4099 में से 0.052 हेक्टर क्रय किया गया था, जिस पर वादी द्वारा दो हिस्सो में मकान बनाये गये थे, जिनमें एक हिस्से पर पुत्रवधू सहित उनके बच्चे निवास करते है तथा एक हिस्से पर वादी स्वयं निवास करता है। प्रतिवादी क्रमांक 1 बिना बताये बाहर चला जाता है तथा प्रतिवादी क्रमांक 2 जो कि विकलांग एवं परेशान होने से वादी के परिवार के साथ कमरे में रहने लगी थी। दिनांक 07. 10.2016 को प्रतिवादी कमांक 1 ने आकर वादी के कमरे का ताला तोड़ कर उसका सामान खुर्द बुर्द कर दिया था जब वादी भिण्ड से गांव पहुंचा तो प्रतिवादी क्रमांक 1 द्वारा कहा गया कि वादी की मकान खाली नहीं करेगा तथा उसकी जमीन पर भी कब्जा करेगा तथा प्रतिवादी क्रमांक 1 का प्रतिवादी कमांक 2 द्वारा भी समर्थन किया गया तथा दोनो प्रतिवादीगण के मन में खोट आ जाने से उक्त वाद प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है। प्रतिवादी क्रमांक 2 की सहमति से उसके पित हरिश्चंद द्वारा दूसरा विवाह कर लिया गया तथा उसने अपने हिस्से की कृषि भूमि प्रतिवादी क्रमांक 1 एवं 2 को भरण पोषण हेतु प्रदान किया है प्रितिवादी क्रमांक 1 के पिता हरिश्चन्द्र द्वारा मुम्बई में एक

मकान दानपत्र के द्वारा प्रतिवादी क्रमांक 1 को दिया गया था जो उसके द्वारा हिरिश्चंद्र को बताये बिना विक्रय कर दिया तथा जाली हस्ताक्षर कर हिरशचंद के खाते से करीब 7–8 लाख रूपये भी निकाल लिये थे, जिसके संबंध में कार्यवाही संचालित है। कुछ समय पूर्व भाई हिरशचंद्र गांव मे आया और वादी के परिवार के साथ रहने से नाराज होकर प्रतिवादी क्रमांक 1 व 2 द्वारा मकान एवं जमीन पर कब्जा करने की धमकी दी गई है। वादी की संम्पत्ति में प्रतिवादीगण का कोई हक व हिस्सा न होने एवं सुविधा का संतुलन वादी के पक्ष में होने से प्रकरण के निराकरण तक वादी की संपूर्ण संपत्ति में प्रतिवादीगण को हस्तक्षेप करने से रोकने / निषेधित किये जाने का निवेदन किया गया है। उक्त आवेदन के समर्थन में वादी तेजिसंह की ओर से स्वयं का शपथ पत्र भी पेश किया गया है।

प्रतिवादी क्रमांक 1 व 2 ने लिखित कथन व आवेदन का जबाब प्रस्तुत 4. करते हुऐ व्यक्त किया गया है कि प्रतिवादीगण का मकान खाली पड़ा है तथा प्रतिवादी क्रमांक 1 ने नोटरी अनुबंध दस्तावेज इकरारनामा द्वारा दिनांक 07.02. 2005 को वादी के एक मकान जिसकी लंबाई उत्तर—दक्षिण 50 फीट तथा चौडाई पूरव पश्चिम 33 फीट 6 इंच नोटरी इकरारनामा के अनुसार क्य किया गया था और क्य दिनांक से उसमें निवास कर रहे है और वह पुश्तेनी मकान में निवास नहीं कर रहा है और वह खाली पड़ा है तथा वादी अपने मकान में निवास कर रहा है। प्रतिवादी क्रमाक 1 एवं 2 हरिश्चंद्र के बैध वारिस है तथा उनके हिस्से कृषि भूमि प्राप्त हुई है तथा हरिश्चन्द्र रेल्वे विभाग से सेवा निवृत होकर मुम्बई में निवास करते है तथा उनके कई मकान है तथा कई शादियां भी की है। वादी का पुत्र बादशाह अभी जीवित है, जब कि भागवती के नाम से प्रकरणक कमांक 1/2010 मे ओ.बीसी. बैक से एफ.डी0 बाबत उत्तराधिकार प्रमाण पत्र न्यायालय से प्राप्त किया है। आवेदक / वादी द्वारा चिंतामन से जगह क्य कर दो मकान बनाये थे, उसमें से एक मकान प्रतिवादी क्रमांक 1 को दिनांक 07.02.2005 को इकरार नोटरी से एक लाख रूपये लेकर विकय कर दिया गया था तथा कब्जा सोंप दिया था तथा प्रतिवादी क्रमांक 1 की

शादी भी उसी मकान से दिनांक 21.05.2005 को हुई थी और प्रतिवादी क्रमांक 1 उसी मकान में परिवार सहित निवास कर रहा है। जहां तक हरिश्चंद्र द्वारा प्रतिवादी क्रमांक 2 कलावती की सहमित से दूसरे विवाह कर लेने का प्रश्न है, तो यह तथ्य गलत है और प्रतिवादी क्रमांक 2 द्वारा पिता हरिश्चंद्र के विरुद्ध भरण पोषण का वाद प्रस्तुत किया गया है, जो विचाराधीन है। प्रतिवादीगण वादी से क्य किये गये मकान में 2005 से निवास कर रहे है तथा सुविध का संतुलन भी प्रतिवादगण के पक्ष में होने से वादी की ओर से प्रस्तुत अस्थाई निषेधाज्ञा का आवेदन निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया है।

4. आवेदन के निराकरण हेतु विचारणीय प्रश्न यह है कि-

- अ. क्या प्रथम दृष्टया मामला आवेदक ∕वादी के पक्ष में है?
- ब. क्या सुविधा का संतुलन आवेदक / वादी के पक्ष में है?
- स. यदि अस्थाई निषेधाज्ञा पारित नहीं की गई तो, क्या आवेदक / वादी को अपूर्णनीय क्षति होना संभावित है?
- 5. वादपत्र के पद कमांक 3 में वादी का अभिवचन है कि उसने सर्वे कमांक 2213, 284/1, 2285/1, 2286/1 (बंदौवश्त पश्चात सर्वे कमांक 2158, 2212, 2213, 4099) में से 0.052 हेक्टेयर भूमि कय की और उस पर दो हिस्सो पर मकान बनवाया, जिसके एक भाग में वादी की पुत्रबधू व नाती नातिन रहते है तथा दूसरे भाग में वादी निवास करता है। वादी के पृथक निवास वाले भाग पर प्रतिवादीगण ने विवाद उत्पन्न कर दिया है, जिससे यह वाद संस्थित करना आवश्यक हुआ है। वादी के उपरोक्त अभिवचन से यह स्पष्ट है कि इस मामले में वादग्रस्त संपत्ति उपरोक्त वादी का पृथक् निवास वाला मकान है। प्रतिवादीगण ने लिखित कथन के पद कमांक 3 में यह अभिवचन किया है कि वादी ने चिंतामन से भूमि कय कर दो मकान बनाये थे, जिसमें से एक मकान वादी ने प्रतिवादी कमांक 1 को नोटरीकृत इकरारनामा दिनांक 07.02.2005 के माध्यम से एक लाख रूपये नगद लेकर मकान विकय कर दिया, जिसमें प्रतिवादी कमांक 1 व 2 निवास करते है। इस प्रकार

- F.No. 102105/2016- 5 व्यवहारवाद प्रकरण क0 2400182-ए/2016 उभयपक्ष के अभिवचन इस संबंध में परस्पर विरोधाभासी है कि वादग्रस्त संपत्ति (मकान) पर वादी का आधिपत्य हैं।
- 6. उभयपक्ष के अभिवचन से इस संबंध में कोई विवाद होना दर्शित नहीं है कि वादी ने चिंतामन से सर्वे कमांक 2213, 284/1, 2285/1, 2286/1 (बंदौवश्त पश्चात सर्वे कमांक 2158, 2212, 2213, 4099) में से 0.052 हेक्टेयर भूमि क्य की और उस पर दो हिस्सो पर मकान बनवाया। वादी द्वारा प्रस्तुत विक्य पत्र दिनांक 06.8.1993 एवं भू अधिकार ऋणपुस्तिका की प्रति से भी उक्त अभिवचन की पुष्टि होती है।
- प्रतिवादीगण का यह अभिवचन है कि प्रतिवादी क्रमांक 1 ने 7. इक्रारनामा दिनांक 07.02.2005 के माध्यम से वादी का मकान क्रय किया और उस पर कब्जा प्राप्त कर निवास कर रहे है। प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत उक्त इकरारनामा दिनांक 07.02.2005 की प्रति से भी प्रथम दृष्टया यह दर्शित होता है कि वादी तथा प्रतिवादी कमांक र के मध्य इकरारनामा हुआ था और उक्त इकरारनामा के माध्यम से तेजसिंह ने महेन्द्र सिंह को मौके पर कब्जा दे दिया है। वादी के द्वारा उपरोक्त इकरारनामा के संबंध में वादपत्र में कोई अभिवचन नहीं किये है, परंतु महेन्द्र सिंह का इस शपथपत्र दिनांक 31.12.2012 की प्रति अभिलेख पर प्रस्तुत की है। इसके अवलोकन से यह दर्शित हो रहा है कि उक्त शपथ पत्र के माध्मय से महेन्द्र सिंह ने यह घोषणा की है कि ''उसका मकान पर कोई हक नहीं है और न ही उसने व उसके पिता ने मकान बनवाया है और न ही पैसे दिये है, उसने धोखे से नौकरी के बहाने हस्ताक्षर करा लिये है।'' वादी के द्वारा उक्त इकरारनामा दिनांक 07.02.2005 का वाद पत्र में कोई अभिवचन नहीं किया गया है, परंतु वादी के द्वारा प्रस्तुत शपथपत्र दिनांक 31.12.2012 से यह दर्शित हो रहा है कि वादी को उपरोक्त दस्तावेज दिनांक 07.02.2005 का पूर्व से ज्ञान था और उसने ज्ञान होते हुये भी तत्संबंध में कोई अभिवचन नहीं किया। जहां तक शपथपत्र दिनांक 31.12.2012 का संबंध है, से ऐसा दर्शित नहीं होता है कि वादग्रस्त संपत्ति मकान का कब्जा प्रतिवादी क्रमांक 1 महेन्द्र ने वादी को दिया हो, बल्कि इकरारनामा दिनांक 07.

02.2005 से यह प्रकट हो रहा है कि वादी ने महेन्द्र को कब्जा सौंपा था। अभिलेख पर ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है कि दिनांक 07.02.2005 में वादी द्व रा प्रतिवादी कमांक 1 को कब्जा सौपने के पश्चात पुनः प्रतिवादी कमांक 1 ने वादी को कब्जा दिया हो। ऐसी स्थिति में इस प्रक्रम पर साक्ष्य के बिना इस तथ्य का निर्धारण नहीं किया जा सकता कि प्रथम दृष्ट्या वादग्रस्त संपत्ति मकान पर वादी का आधिपत्य है। वादी ने यह वाद स्थाई निषेधाङ्मा हेतु प्रस्तुत किया है तथा आवेदन में संपत्ति पर अनाधिकृत हस्तक्षेप की सहायता चाही है। अतः इस प्रक्रम पर वादग्रस्त संपत्ति पर प्रथम दृष्ट्या वादी का आधिपत्य दर्शित न होने से प्रथम दृष्ट्या मामला वादी के पक्ष में होना नहीं पाया जाता है।

- 8. जहां तक सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णनीय क्षित होने की संभावना का प्रश्न है, उपरोक्त विवेचन से प्रथम दृष्ट्या वादग्रस्त संपत्ति पर वादी का आधिपत्य होना प्रकट नहीं हुआ है और न ही प्रथम दृष्ट्या मामला वादी के पक्ष में है। ऐसी स्थिति में सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णनीय क्षिति होने की संभावना भी वादी के पक्ष में होना नहीं मानी जा सकती। अतः सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णनीय क्षिति होने की संभावना भी वादी के पक्ष में नहीं है।
- 9. अतः उपरोक्त दर्शित तथ्य एवं परिस्थितियों में अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनों सिद्धांत वादी के पक्ष में न होने से वादी की ओर से प्रस्तुत आवेदन अन्तर्गत आदेश 39 नियम 1 एवं 2 व्यवहार प्रकिया संहिता खारिज किया जाता है।

(विकाश शुक्ला) चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश वर्ग—2 भिण्ड (मध्यप्रदेश)

आदेश आज दिनांक— 16.08.2017 को खुले न्यायालय में उद्घोषत, दिनांकित एवं हस्ताक्षरित किया गया।

(विकाश शुक्ला) चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–2 भिण्ड (मध्यप्रदेश)